FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0208 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/07/2026 11:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 30/10/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:10 बजे **Time To (समय तक):** 17:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/07/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/07/2026 11:30:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 150 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** POLICE THANA NAI MANDI, GHARSANA JILA SHRIGANGANAGAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SANDEEP KAUR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KULWANT SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	3 GD, GHARSANA, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	2 STR, 16 MD DHANI, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SITARAM		पिता:RAJERAM	1. LALANA BAS,NOHAR,HANUMANGARGH ,RAJASTHAN,INDIA
2	RAJESH KUMAR MEENA		पिता:GIRRAJ PRASAD MEENA	1. KHERLA POST OFFICE PALA,MALAKHEDA,ALWAR,RAJ ASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 29.10.2025 को वक्त 12.10 पीएम पर परिवादिया संदीप कौर पुत्री कलवंत सिंह पत्नीजितेन्द्र सिंह जाति मजबीसिख उम्र 35 साल निवासी 2 एसटीआर, 16 एमडी ढाणी हाल निवासी 3 जीडी, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर ने कार्यालय पर उपस्थित होकर श्री भुपेन्द्र सोनी उप अधीक्षक पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो श्रीगंगानगर प्रथम को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि मेरे विरूद्व मेरे पति जितेन्द्र सिंह ने झुठा मुकदमा नम्बर 385/2025 पुलिस थाना घडसाना में दर्ज करवाया है जिसमें घर से डरा धमका कर सामान चोरी आदि करने के आरोप लगाये गये है। उक्त मुकदमा की जांच सीताराम हवलदार पुलिस थाना घडसाना द्वारा की जा रही है। जिसमें मैं व मेरे पिता कुलवंत सिंह पुलिस थाना घडसाना में मुकदमा के बारे में सीताराम हवलदार से मिलकर पता किया तो सीताराम हवलदार ने उस वक्त मेरे से पुछताछ की थी तथा कहा था कि राजेश मीणा थानेदार से मिल लेना। फिर मैं व मेरे पिताजी, राजेश मीणा थानेदार से मिले तो उसने कहा की मेरी और सीताराम हवलदार की एक ही बात है। अगर आपको मुकदमा रफा दफा करवाना है तो 15,000 रूपये देने होंगे। जिस पर मेरे द्वारा रूपये कम करने को कहा गया तो राजेश मीणा ने कहा की फिर आप सीता राम से बात कर लो परन्तु हमारी दोनों की एक ही बात है, जो मैंने कह दिया वो ही सीताराम बोलेगा। उसके बाद राजेश मीणा थानेदार ने मेरे से मोबाईल पर दो तीन बार बात कर कहा की आप पैसे लेकर पुलिस थाना मे आ जाओ आपका मामला सलटवा देता हूं। मैं सीताराम हवलदार व राजेश मीणा थानेदार को झुठे मुकदमे को रफा दफा करने की एवज में 15,000 रूपये की रिश्वत नही देकर दोनो को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हूँ। मेरी उससे कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेन देन बकाया है। मेरे पिता कुलवंत सिह भी मेरे साथ आये है, जो भी कार्यवाही में मेरे साथ रहेगें। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। अतः उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर परिवादिया संदीप कौर व उसके पिता श्री कुलवंत सिंह को मिलवाया। प्रार्थना पत्र परिवादिया ने स्वंय की हस्तलिपी में होना बताकर उस पर अपने व अपने पिता के हस्ताक्षर होना बताया। संदीप कौर पुत्री श्री कुलवंत सिंह ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी शादी वर्ष 2008 में श्री जितेन्द्र सिंह निवासी 2 एसटीआर घडसाना जिला श्रीगंगानगर से हुई थी। मेरा मेरे पति से घरेलू विवाद होने के कारण मैं अपने पिता के साथ मेरे पीहर में रह रही हूं। मेरे पति ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना घडसाना में मुकदमा नम्बर 385/2025 चोरी, लूट आदि का दर्ज करवा रखा है। जिसकी तफतीश सीताराम हवलदार द्वारा की जा रही है।. जिसने मेरे पिता को श्री राजेश मीणा थानेदार से मिलने को कहा जिसने मेरे विरूद्व उक्त मुकदमा में मेरे पिता से एफआर लगाने के लिये रिश्वत के 15,000 रूपये मांगे है। श्री सीताराम हवलदार व श्री राजेश मीणा थानेदार रिश्वत की बात मेरे से व मेरे पिता से कर लेते हैं, इसलिये रिश्वत सत्यापन की कार्यवाही हम दोनों के द्वारा करवायी जायेगी। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं पुछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादिया संदीप कौर को कहा गया तो परिवादिया संदीप कौर ने बताया कि मैं व मेरे पिता कुलवन्तसिंह आज ही घडसाना जाकर आरोपीगण से मिलकर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा देंगे, जिस पर कार्यालय से श्री शिवदत्त कानि0 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मंगाकर परिवादिया को चलाने व बंद करने की विधि समझाईस की गयी। परिवादिया संदीप कौर व सह परिवादी कुलवंत सिंह का श्री शिवदत्त कानि0 99 से आपसी परिचय करवाया गया। वक्त 2.00 पीएम पर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया खाली मैमोरी कार्ड स्थापित कर गोपनीय सत्यापन हेतु श्री शिवदत कानि0 को सुपुर्द कर श्री शिवदत्त कानि 99 के साथ परिवादिया व सहपरिवादी को बजानिब घड़साना की और रवाना किया गया। वक्त 06.54 पीएम पर श्री शिवदत कानि. ने जरिये दूरभाष मन पुनि को अवगत करवाया कि परिवादिया संदीप कौर ने आरोपी का मालूमात किया तो थाने पर उपस्थित नहीं मिले। फिर परिवादिया ने आरोपीगण का मालूमात करवाया तो उन्होने कहा कि आप कल अपने पिता कुलवंत सिंह को साथ ले आना, फिर बात करेंगे आपसे अकेले से कोई बात नहीं करेंगे। जिस पर श्री शिवदत कानि को वहीं रूकने की हिदायत दी गयी व परिवादिया व सह परिवादी से कल दिनांक 30.10.2025 को मिलकर आरोपीगण के पास भेजकर सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 30.10.2025 वक्त 5.49 पीएम पर मन पुनि ने परिवादिया व सहपरिवादी से जरिये टेलीफोन सम्पर्क किया गया तो परिवादिया संदीपकौर ने बताया कि आज मैं व मेरे पिता कलवन्त सिंह डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड श्री शिवदत कानि0 से चालू कर प्राप्त कर पुलिस थाना घडसाना में गये, जहां पर मेरे से राजेश मीणा सउनि व सीताराम हैड

कानि0 ने मेरे प्रकरण के सम्बधं में बातचीत की तथा सीताराम हैड कानि0 ने मेरे से 5,000/रूपये रिश्वत की मांग की है तथा कुछ खाली कागजातों पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए जो वार्ता मैंने वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है फिर बाहर आकर मैंने डिजिटल वॉयस रिकार्डर श्री शिवदत को सुपुर्द कर दिया जिसने बंद कर अपने पास रख लिया है, मुझे आज काम है इसलिए आईन्दा मैं रिश्वत राशी की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगी। आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग भी मेरे से ही की गयी है तथा मेरे से ही रिश्वत प्राप्त करेंगे इसलिए आगे की कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जावेगी। मन पुनि के द्वारा श्री शिवदत कानि0 99 से सम्पर्क करने पर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रात को घडसाना में ही रूका था परिवादिया व सहपरिवादी अपने घर चले गये थे। परिवादिया व सहपरिवादी आज तय स्थान पर आकर मुझे मिले मैंने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड चालू कर संदीप कौर को सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु पुलिस थाना घडसाना रवाना किया था। मैं बाहर गोपनीय स्थान पर मुकिम रहा था। करीब घण्टा सवा घण्टा बाद परिवादिया व सहपरिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जो मैंने बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया था। वक्त 11.00 पीएम पर श्री शिवदत कानि0 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन पु0नि0 को सुपुर्द कर परिवादिया द्वारा बताये गये हालात को दोहराया। जिस पर मन पु0नि0 द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर सुना तो परिवादिया के कथनों की ताईद होना पाया गया। फिर दिनांक 30.10.2025 से दिनांक 10.11.2025 तक परिवादिया व सहपरिवादी को बार बार अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने के लिए जरिये दूरभाष सम्पर्क किया जाता रहा, लेकिन वे कभी ग्वार काटने खाजूवाला जाने व कभी रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं होने के बहाने बनाकर टालते रहे। परिवादिया संदीपकौर दिनांक 11.11.2025 को वक्त 2.00 पीएम पर उपस्थित आयी, जिस पर दिनांक 30.10.25 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता को तलविदा रोबरू सरकारी गवाहान श्री साहिल काठपाल सूचना सहायक एवं श्री करणसिंह कनिष्ठ लेखाकार व परिवादिया के समक्ष कार्यायल के कम्प्यूटर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट सत्यापन वार्ता तैयार की गयी। टेपरिकॉर्ड में स्थापित मूल मैमेारी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कॉपी कर दो पैन ड्राईव व में डाउन लॉड कर एक पैन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में सील चिट कर हैज वैल्यू अंकित कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस में लिया गया। दूसरे पैन ड्राईव को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। फिर डिजिटल वॉयस रिकार्डर से मूल मैमोरी कार्ड को बाहर निकाल कर सैफटी कवर में डालकर एक कपडे की सफेद थेली में सील चिट कर मार्क A अंकित कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर करवाये गये। मन पु0नि0 द्वारा परिवादिया श्रीमती संदीपकौर को सहपरिवादी कलवन्त सिंह के उपस्थित नही आने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि मेरे पिता बीमार है वे अब नहीं आ सकते। जिस पर ट्रैप कार्यवाही हेतु रिश्वत राषि 5000/रूपये की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि आरोपीगण सीताराम व राजेश कुमार के पास मेरा कोई काम पेण्डिग नहीं है ना ही वे अब मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है सम्भ्वत उनको हमारे पर शक हो गया है अतः मेरी घरेलू परिस्थितियो के कारण मैं आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहती हूं कृप्या इसे बंद करने की कृपा करे। जिस पर मन पुनि ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल कागजात किया गया। परिवादिया संदीप कौर आगामी कार्यवाही नहीं करवाना चाहती अतः वजह सबूत में सील चिट में प्रयुक्त सील नं0 14 की फर्द नमूना सील नष्टीकरण तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकरण में परिवादिया द्वारा श्री राजेश कुमार मीणा कानि0 को राजेश मीणा सउनि/थानेदार बताया गया व प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है, जबकि घड़साना थाने में राजेश मीणा नाम से सउनि/थानेदार पदस्थापित नही है, इस सम्बधं में परिवादिया से पूछा तो उसने श्री राजेश मीणा थानेदार के मोबाईल नम्बर भिजवाये तथा बताया कि इस नम्बर पर मेरी व मेरे पिता कुलवंत सिंह की राजेश मीणा थानेदार से कई बार वार्ता हुई है।जिस पर राजकोप पुलिस एप पर सर्च कर मोबाईल नम्बरो की तस्दीक की गई तो श्री राजेश कुमार मीणा कानि. 908 होना पाया गया। इस सम्बधं में कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिकॉर्ड से भी पुष्टि हुई है। इस प्रकार परिवादिया संदीप कौर पुत्री श्री कुलवंत सिंह के पति द्वारा पुलिस थाना घड़साना में दर्ज करवाये गये चोरी आदि के झुठे मुकदमें को रफा दफा (एफ.आर.)लगाने की एवज में आरोपीगण सीताराम तत्कालीन हैड कानि.67 व राजेश कुमार मीणा कानि0 न0 908, पुलिस थाना घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा 15,000 रूपये रिश्वत की मांग करने पर परिवादिया/सह परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.10.25 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपीगण सीताराम तत्कालीन हैड कानि0 व राजेश कुमार मीणा कानि0 908 द्वारा परिवादिया से 5,000/रूपये रिश्वत लेना तय करना आदि तथ्यों के आधार पर आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) एवं 61(2)बीएनएस 2023 में घटित होना पाये जाने पर आरोपीगण सीताराम तत्कालीन हैड कानि. 67 हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस व राजेश कुमार मीणा कानि0 न0 908, पुलिस थाना घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2)बीएनएस 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें में सादर प्रेषित है। (राजेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीयनिवेदन है कि दिनांक 29.10.2025 को वक्त 12.10 पीएम पर परिवादिया संदीप कौर पुत्री कलवंत सिंह पत्नीजितेन्द्र सिंह जाति मजबीसिख उम्र 35 साल निवासी 2 एसटीआर,

16 एमडी ढाणी हाल निवासी 3 जीडी, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर ने कार्यालय पर उपस्थित होकर श्री भुपेन्द्र सोनी उप अधीक्षक पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो श्रीगंगानगर प्रथम को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि मेरे विरूद्व मेरे पति जितेन्द्र सिंह ने झुठा मुकदमा नम्बर 385/2025 पुलिस थाना घडसाना में दर्ज करवाया है जिसमें घर से डरा धमका कर सामान चोरी आदि करने के आरोप लगाये गये है। उक्त मुकदमा की जांच सीताराम हवलदार पुलिस थाना घडसाना द्वारा की जा रही है। जिसमें मैं व मेरे पिता कुलवंत सिंह पुलिस थाना घडसाना में मुकदमा के बारे में सीताराम हवलदार से मिलकर पता किया तो सीताराम हवलदार ने उस वक्त मेरे से पुछताछ की थी तथा कहा था कि राजेश मीणा थानेदार से मिल लेना। फिर मैं व मेरे पिताजी, राजेश मीणा थानेदार से मिले तो उसने कहा की मेरी और सीताराम हवलदार की एक ही बात है। अगर आपको मुकदमा रफा दफा करवाना है तो 15,000 रूपये देने होंगे। जिस पर मेरे द्वारा रूपये कम करने को कहा गया तो राजेश मीणा ने कहा की फिर आप सीता राम से बात कर लो परन्तु हमारी दोनों की एक ही बात है, जो मैंने कह दिया वो ही सीताराम बोलेगा। उसके बाद राजेश मीणा थानेदार ने मेरे से मोबाईल पर दो तीन बार बात कर कहा की आप पैसे लेकर पुलिस थाना मे आ जाओ आपका मामला सलटवा देता हूं। मैं सीताराम हवलदार व राजेश मीणा थानेदार को झुठे मुकदमे को रफा दफा करने की एवज में 15,000 रूपये की रिश्वत नही देकर दोनो को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हूँ। मेरी उससे कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेन देन बकाया है। मेरे पिता कुलवंत सिह भी मेरे साथ आये है, जो भी कार्यवाही में मेरे साथ रहेगें। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। अतः उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर परिवादिया संदीप कौर व उसके पिता श्री कुलवंत सिंह को मिलवाया। प्रार्थना पत्र परिवादिया ने स्वंय की हस्तलिपी में होना बताकर उस पर अपने व अपने पिता के हस्ताक्षर होना बताया। संदीप कौर पुत्री श्री कुलवंत सिंह ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी शादी वर्ष 2008 में श्री जितेन्द्र सिंह निवासी 2 एसटीआर घडसाना जिला श्रीगंगानगर से हुई थी। मेरा मेरे पति से घरेलू विवाद होने के कारण मैं अपने पिता के साथ मेरे पीहर में रह रही हूं। मेरे पति ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना घडसाना में मुकदमा नम्बर 385/2025 चोरी, लूट आदि का दर्ज करवा रखा है। जिसकी तफतीश सीताराम हवलदार द्वारा की जा रही है।. जिसने मेरे पिता को श्री राजेश मीणा थानेदार से मिलने को कहा जिसने मेरे विरूद्व उक्त मुकदमा में मेरे पिता से एफआर लगाने के लिये रिश्वत के 15,000 रूपये मांगे है। श्री सीताराम हवलदार व श्री राजेश मीणा थानेदार रिश्वत की बात मेरे से व मेरे पिता से कर लेते हैं, इसलिये रिश्वत सत्यापन की कार्यवाही हम दोनों के द्वारा करवायी जायेगी। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं पुछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादिया संदीप कौर को कहा गया तो परिवादिया संदीप कौर ने बताया कि मैं व मेरे पिता कुलवन्तसिंह आज ही घडसाना जाकर आरोपीगण से मिलकर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा देंगे, जिस पर कार्यालय से श्री शिवदत्त कानि0 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मंगाकर परिवादिया को चलाने व बंद करने की विधि समझाईस की गयी। परिवादिया संदीप कौर व सह परिवादी कुलवंत सिंह का श्री शिवदत्त कानि0 99 से आपसी परिचय करवाया गया। वक्त 2.00 पीएम पर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया खाली मैमोरी कार्ड स्थापित कर गोपनीय सत्यापन हेतु श्री शिवदत कानि0 को सुपुर्द कर श्री शिवदत्त कानि 99 के साथ परिवादिया व सहपरिवादी को बजानिब घड़साना की और रवाना किया गया। वक्त 06.54 पीएम पर श्री शिवदत कानि. ने जरिये दूरभाष मन पुनि को अवगत करवाया कि परिवादिया संदीप कौर ने आरोपी का मालूमात किया तो थाने पर उपस्थित नहीं मिले। फिर परिवादिया ने आरोपीगण का मालूमात करवाया तो उन्होने कहा कि आप कल अपने पिता कुलवंत सिंह को साथ ले आना, फिर बात करेंगे आपसे अकेले से कोई बात नहीं करेंगे। जिस पर श्री शिवदत कानि को वहीं रूकने की हिदायत दी गयी व परिवादिया व सह परिवादी से कल दिनांक 30.10.2025 को मिलकर आरोपीगण के पास भेजकर सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 30.10.2025 वक्त 5.49 पीएम पर मन पुनि ने परिवादिया व सहपरिवादी से जरिये टेलीफोन सम्पर्क किया गया तो परिवादिया संदीपकौर ने बताया कि आज मैं व मेरे पिता कलवन्त सिंह डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड श्री शिवदत कानि0 से चालू कर प्राप्त कर पुलिस थाना घडसाना में गये, जहां पर मेरे से राजेश मीणा सउनि व सीताराम हैड कानि0 ने मेरे प्रकरण के सम्बधं में बातचीत की तथा सीताराम हैड कानि0 ने मेरे से 5,000/रूपये रिश्वत की मांग की है तथा कुछ खाली कागजातों पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए जो वार्ता मैंने वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है फिर बाहर आकर मैंने डिजिटल वॉयस रिकार्डर श्री शिवदत को सुपुर्द कर दिया जिसने बंद कर अपने पास रख लिया है, मुझे आज काम है इसलिए आईन्दा मैं रिश्वत राशी की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगी। आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग भी मेरे से ही की गयी है तथा मेरे से ही रिश्वत प्राप्त करेंगे इसलिए आगे की कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जावेगी। मन पुनि के द्वारा श्री शिवदत कानि0 99 से सम्पर्क करने पर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रात को घडसाना में ही रूका था परिवादिया व सहपरिवादी अपने घर चले गये थे। परिवादिया व सहपरिवादी आज तय स्थान पर आकर मुझे मिले मैंने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड चालू कर संदीप कौर को सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु पुलिस थाना घडसाना रवाना किया था। मैं बाहर गोपनीय स्थान पर मुकिम रहा था। करीब घण्टा सवा घण्टा बाद परिवादिया व सहपरिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया, जो मैंने बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया था। वक्त 11.00 पीएम पर श्री शिवदत कानि0 ब्यूरो कार्यालय में

उपस्थित आकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन पु0नि0 को सुपुर्द कर परिवादिया द्वारा बताये गये हालात को दोहराया। जिस पर मन पु0नि0 द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर सुना तो परिवादिया के कथनों की ताईद होना पाया गया। फिर दिनांक 30.10.2025 से दिनांक 10.11.2025 तक परिवादिया व सहपरिवादी को बार बार अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने के लिए जरिये दूरभाष सम्पर्क किया जाता रहा, लेकिन वे कभी ग्वार काटने खाजूवाला जाने व कभी रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं होने के बहाने बनाकर टालते रहे। परिवादिया संदीपकौर दिनांक 11.11.2025 को वक्त 2.00 पीएम पर उपस्थित आयी, जिस पर दिनांक 30.10.25 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता को तलविदा रोबरू सरकारी गवाहान श्री साहिल काठपाल सूचना सहायक एवं श्री करणसिंह कनिष्ठ लेखाकार व परिवादिया के समक्ष कार्यायल के कम्प्यूटर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट सत्यापन वार्ता तैयार की गयी। टेपरिकॉर्ड में स्थापित मूल मैमेारी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को कॉपी कर दो पैन ड्राईव व में डाउन लॉड कर एक पैन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में सील चिट कर हैज वैल्यू अंकित कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस में लिया गया। दूसरे पैन ड्राईव को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। फिर डिजिटल वॉयस रिकार्डर से मूल मैमोरी कार्ड को बाहर निकाल कर सैफटी कवर में डालकर एक कपडे की सफेद थेली में सील चिट कर मार्क A अंकित कर सम्बन्धित से हस्ताक्षर करवाये गये। मन पु0नि0 द्वारा परिवादिया श्रीमती संदीपकौर को सहपरिवादी कलवन्त सिंह के उपस्थित नही आने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि मेरे पिता बीमार है वे अब नहीं आ सकते। जिस पर ट्रैप कार्यवाही हेतु रिश्वत राषि 5000/रूपये की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि आरोपीगण सीताराम व राजेश कुमार के पास मेरा कोई काम पेण्डिग नहीं है ना ही वे अब मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे है सम्भ्वत उनको हमारे पर शक हो गया है अतः मेरी घरेलू परिस्थितियो के कारण मैं आगे की कार्यवाही नहीं करवाना चाहती हूं कृप्या इसे बंद करने की कृपा करे। जिस पर मन पुनि ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल कागजात किया गया। परिवादिया संदीप कौर आगामी कार्यवाही नहीं करवाना चाहती अतः वजह सबूत में सील चिट में प्रयुक्त सील नं0 14 की फर्द नमूना सील नष्टीकरण तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकरण में परिवादिया द्वारा श्री राजेश कुमार मीणा कानि0 को राजेश मीणा सउनि/थानेदार बताया गया व प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है, जबकि घड़साना थाने में राजेश मीणा नाम से सउनि/थानेदार पदस्थापित नही है, इस सम्बधं में परिवादिया से पूछा तो उसने श्री राजेश मीणा थानेदार के मोबाईल नम्बर भिजवाये तथा बताया कि इस नम्बर पर मेरी व मेरे पिता कुलवंत सिंह की राजेश मीणा थानेदार से कई बार वार्ता हुई है।जिस पर राजकोप पुलिस एप पर सर्च कर मोबाईल नम्बरो की तस्दीक की गई तो श्री राजेश कुमार मीणा कानि. 908 होना पाया गया। इस सम्बधं में कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिकॉर्ड से भी पुष्टि हुई है । इस प्रकार परिवादिया संदीप कौर पुत्री श्री कुलवंत सिंह के पति द्वारा पुलिस थाना घड़साना में दर्ज करवाये गये चोरी आदि के झुठे मुकदमें को रफा दफा (एफ.आर.)लगाने की एवज में आरोपीगण सीताराम तत्कालीन हैड कानि.67 व राजेश कुमार मीणा कानि0 न0 908, पुलिस थाना घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा 15,000 रूपये रिश्वत की मांग करने पर परिवादिया/सह परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.10.25 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपीगण सीताराम तत्कालीन हैड कानि0 व राजेश कुमार मीणा कानि0 908 द्वारा परिवादिया से 5,000/रूपये रिश्वत लेना तय करना आदि तथ्यों के आधार पर आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) एवं 61(2)बीएनएस 2023 में घटित होना पाये जाने पर आरोपीगण सीताराम तत्कालीन हैड कानि. 67 हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस व राजेश कुमार मीणा कानि0 न0 908, पुलिस थाना घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें में सादर प्रेषित है। (राजेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1. श्री सीताराम पुत्र श्री राजेराम उम्र 52 साल निवासी गांव ललाना बास पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ तत्कालीन हैड कानि. 67 हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं 2. श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीणा उम्र 31 साल निवासी गांव खेड़ला पो0ऑ0 पाला पुलिस थाना मालाखेड़ा जिला अलवर हाल कानि0 न0 908, पुलिस थाना घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जय कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें-बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 397 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1228-31 दिनांक 23.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- पुलिस अधीक्षक जिला श्रीगंगानगर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** jai kumar nayak **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/07/2026 11:34:10

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				
2	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)